तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह ज्ञात हैं कि प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा दलील दी जा रही है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के हाल खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर प्रार्थीगण के पुर्वजो के समय से पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है, परन्तु भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् अप्रार्थीगण के पिता ने गलत तौर से वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में 1/2 हिस्सा में नाम दर्ज करवा दिया। अप्रार्थीगण के पिता का मात्र नाम होने से मौके पर कब्जा नही हुआ, तथा अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा में बतौर खातेदार दर्ज हो गया। परन्तु अप्रार्थीगण का मौके पर काश्त व कब्जा नहीं होने के बावजुद अप्रार्थीगण ने रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि में दर्ज 1/2 हिस्सा के आधार पर भूमि को लडाकू प्रवृति के लोगो को बेचने की कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थीगण को इसकी जानकारी होने पर इन्द्राज दुरस्ती के जरिये घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके निस्तारण में समय लगेगा, एवं इस दौरान् यदि अप्रार्थीगण रिकार्ड में दर्ज त्रुटिपुर्ण इन्द्राज के आधार पर भूमि बेचान करने में सफल हो जाते है, तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। वकील प्रार्थी पक्ष की दलीलो का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा दलील दी जा रही हैं कि अप्रार्थीगण के पिता शिवनाथसिंह पुत्र अचलसिंहजी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा के सह खातेदारी हकूक जरियें बख्शीशनामा दिनांक 29.03.1972 के अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पिता गणेश पुत्र सोमाजी जाति दरोगा के हक में हस्तान्तरित कर दिये थे। तथा इस बख्शीशनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि मं 1/2 हिस्सा के अप्रार्थीगण के पिता गणेश पुत्र सोमाजी जाति दरोगा खातेदार दर्ज हुये। गुणेश पुत्र सोमाजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 बतौर फुटस्टेप्स काबिज होकर काश्त कर रहे है, तथा राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा के सह खातेदार है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता हैः– 1. प्रथम दृष्ट्या मामला बननाः– प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के परीक्षण का आधार राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति हो सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के हाल खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर प्रार्थीगण के पुर्वजो के समय से पुश्तैनी खातेदारी रही है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये बख्शीशनामा की प्रति के अनुसार यह भी स्वीकार्य है कि प्रार्थीगण के पुर्वज / पिता शिवनाथसिंह पुत्र अचलसिंहजी ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा के सह खातेदारी हकूक जरिये बख्शीशनामा दिनांक 29.03.1972 के अप्रार्थी संख्या 01 से 04 ,के पिता गणेश पुत्र सोमाजी जाति दरोगा के हक में हस्तान्तरित कर दिये थे। तथा इस बख्शीशनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि मं 1/2 हिस्सा के अप्रार्थीगण के पिता गणेश पुत्र सोमाजी जाति दरोगा खातेदार दर्ज हुये। गुणेश पुत्र सोमाजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 बतौर फुटस्टेप्स काबिज होकर काश्त कर रहे है, तथा राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा के सह खातेदार है। प्रस्तुत रिकार्ड से यह भी प्रमाणित हैं कि भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् पत्रावली कायम करते हुये अप्रार्थीगण के पिता गणेश पुत्र सोमाजी जाति दरोगा का	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

नाम दर्ज हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कथनो की पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो से नहीं हो जाती है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रमाणित है। जिससे वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के हाल खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर के 1/2 हिस्सा में दर्ज अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

2. सुविधा का सन्तुलनः– बिन्दु संख्या'01 मे किये विवेचन से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि में अप्राथीगण के पिता गणेश पुत्र सोमाजी जाति दरोगा प्रार्थीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि बख्शीश करने से खातेदार दर्ज हुये तथा गुणेश पुत्र सोमाजी की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 बतौर फुटस्टेप्स काबिज होकर राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा के सह खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में भू0 प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् नाम दर्ज करवाये जाने का आरोप लगाते हुये वाद पेश किया है। एवं अब यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो वाद साक्ष्य इत्यादि के माध्यम से वादीगण के पक्ष में साबित हो जाता है, तो प्रार्थीगण को चाहा गया अनुतोष वैसे भी प्राप्त हो जावेगा। इसके विपरित यदि रिकार्ड में दर्ज अप्रार्थीगण के 1/2 हिस्सा के सबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण को अधिकार अभिलेखों में दर्ज अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के पक्ष में बनना पाया जाना निर्णित किया जाता है।

3. अपुरणीय क्षति का मामलाः– प्रथम दृष्ट्या मामला बनना , व सुविधा के सन्तुल के दोनो बिन्दुओ के सबंध में उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन से ज्ञात हैं कि प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में बनते है। परन्तु फिर भी यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तो अप्रार्थीगण को रिकार्ड में दर्ज अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होंने के साथ नाना प्रकार की आर्थिक कठिनाईयो का सामना करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके विपरित प्रार्थना पत्र खारिज होने के बावजुद प्रार्थीगण का वाद जारी रहेगा, जो वाद यदि प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो जाता है, तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होना ज्ञात नहीं है। जिससे उक्त बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत् विधि द्वारा स्थापित तीनो बिन्दुओ को निर्णित किये जाने के पश्चात् ज्ञात हैं कि वादग्रस्त भूमि जादरी के हाल खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर के 1/2 हिस्सा के अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 खातेदार दर्ज हैं। अप्रार्थीगण 1/2 हिस्से के सह खातेदार दर्ज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुरणीय क्षति के बिन्दुओ की कसौटी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खरा नहीं उतरता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि जादरी के हाल खसरा नंबर 406, 407, 408, 409 कुल खसरा–04 कुल रकबा 25.37 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के सलग्न होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner